	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 17, मंगलवार, *शाके 1946*- जनवरी 07, 2025 *Pausa 17, Tuesday, Saka 1946- January 07, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31, 2024

जी.एस.आर.94 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना प.37(1)गृह-9/2021 दिनांक 19-11-2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार शर्मा,

उप शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2024

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.-राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियम) नियम, 2022 के नियम 3 में, विद्यमान उप-नियम (9) और (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(9) प्ररूप-1 में आवेदन, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस सहित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अनुज्ञप्ति पोर्टल (पीएसएआरए) के माध्यम से नियंत्रण प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अनुज्ञप्ति पोर्टल (पीएसएआरए) के माध्यम से नियंत्रण प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।"

[संख्या प.37(1)गृह-9/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

पूजा पार्थ

संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.